नम्बर
अहकाम
हुक्म की ता
में जारी हुए

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 07 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :—22.01.2024

GCMS ID-2024/71

1. रामगोपाल आ0 लछमन जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक :— 14 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खाता संख्या 108 की भूमि खसरा संख्या 778 / 140 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 843 / 139 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि पर शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। तथा प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर निरन्तर, निर्बाध रूप से फसल बोता जोता एवं काटता चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 778 / 140 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 843 / 139 रकबा 0.4856 हैक्टेयर की ऑनलाईन रिकॉर्ड में सहवन से मौके पर के अनुरूप तरमीम नहीं होकर गलत तरमीम अंकित हो गई तथा मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं की गई, इसलिए प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके एवं कब्जे के अनुसार किया जाना आवश्यक है। तथा तरमीम का आधार ही मुख्य रूप से कब्जा होता है, इसलिए गलत तरमीम निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि की, की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करके मोके एवं कब्जे के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई तो आस पास के सहखातेदारान के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थी की वास्तविक मौके एवं कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.11.2023 को कम्प्युटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 05.11.2023 को गलत तरमीम निरस्त करने हेतु तहसीलदार साहब से मिला परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा 778/140 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 843/139 रकबा 0.4856 हैक्टेयर वाके ग्राम स्वरूपगढ प0म0 रोशन्दा की, की गई गलत तरमीम को निरस्त कर मौके एवं कब्जे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने मुताबिक जॉच रिपोर्ट के तरमीम दुरूस्त किया जाना अपेक्षित होना अंकित किया है।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :–राजस्व/25/1668 दिनांक 06.06.2025 अनुसार खाता संख्या 108 के खसरा संख्या 843/139 व 778/140 की भूमि प्रार्थी रामगोपाल के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 843/139 की तरमीम मौके अनुसार सही पायी गई है, जिसमें तरमीम दुरूस्ती की आवश्यकता नहीं है। खसरा संख्या 778/140 की तरमीम मौके अनुसार नहीं होकर तरमीम में अन्तर आ गया है, जिसको प्रस्तावित नक्शे अनुसार किया जाना अपेक्षित है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। जो कि प्रार्थना पत्र के अनुसार रही है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 843/139 व 778/140 जो प्रार्थी खातेदारी में दर्ज है कि तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 778/140 की तरमीम कब्जे अनुसार नहीं होने से प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। खसरा संख्या 843/139 की तरमीम मौके व कब्जे अनुसार होने से उक्त खसरे की तरमीम दुरूस्ती की आवश्यकता नहीं है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर भूमि **खाता संख्या 108** के खसरा संख्या 778/140 वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः **खाता संख्या 108** के खसरा संख्या 778/140 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 14.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

14/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446